**परिवहन मंत्री कार्यालय,**

**एनसीटी, दिल्ली सरकार।**

**--------------**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिल्ली में बसों और माल वाहक वाहनों के लेन अनुपालन के लिए दिल्ली सरकार शुरू करेगी गहन प्रवर्तन अभियान**

**परिवहन विभाग, यातायात पुलिस के साथ, बसों और मालवाहकों द्वारा सुबह 08.00 बजे से रात 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से 08.00 बजे तक विशेष रूप से उपयोग किये जाने वाले समर्पित रास्तों को चिन्हित करेगा**

**पहले चरण में, चयनित कुल 46 में से 15 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर्स पर प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा**

**उल्लंघन करने वालों को, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा**

**परिवहन विभाग ने अपने सार्वजनिक फ्लीट ऑपरेटरों डीटीसी और डिम्ट्स को अपने ड्राइवरों को पेनल्टी से बचने के लिए निर्धारित बस लेन में अपनी बसों को चलाने के बारे में जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है**

**सड़क सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। प्रशिक्षण और प्रवर्तन द्वारा, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कें सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित हों - कैलाश गहलोत**

**नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022**

दिल्ली सरकार बस चालकों और मालवाहक वाहनों के लिए लेन अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक गहन प्रवर्तन अभियान शुरू करेगी। दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और अन्य हितधारकों के परामर्श से इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए 46 प्रमुख कॉरिडोर्स की पहचान कर चुका है। लेन अनुशासन को लागू करने के लिए पहले चरण में, नीचे उल्लिखित 15 चिन्हित रास्तों पर अभियान चलाया जाएगा:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **कॉरिडोर संख्या (मूल सूची में)** | **सड़क का नाम** | **दूरी**  **(किमी में)** |
| 1. | 1 | ऑरोबिन्दो मार्ग से अंधेरिया मोड़ | 10.7 |
| 2. | 2 | महरौली-बदरपुर रोड (टी-प्वाइंट)  अनुवर्त मार्ग (लाडो सराय) से टी-प्वाइंट मथुरा रोड (पुलप्रह्लादपुर) | 10.5 |
| 3. | 3 | **आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर** | 10.8 |
| 4. | 5 | जनकपुरी से मधुबन चौक | 13.1 |
| 5. | 6 | मोती नगर से द्वारका मोड़ | 13.8 |
| 6. | 8 | ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं | 14.3 |
| 7. | 9 | बादली से बवाना | 16.7 |
| 8. | 12 | सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर | 10.5 |
| 9. | 14 | कश्मीरी गेट आईएसबीटी से अप्सरा बॉर्डर | 10.5 |
| 10. | 16 | जहांगीर पुरी (मेट्रो स्टेशन) से कश्मीरी गेट ISBT | 10.7 |
| 11. | 18 | आईटीओ से डॉ अम्बेडकर नगर (वाया बीआरटी कॉरिडोर ) | 13.5 |
| 12. | 22 | नेहरू प्लेस से सुब्रतो पार्क (राव तुला राम बैंक के रास्ते) | 16 |
| 13. | 29 | गांधी नगर से नोएडा बॉर्डर | 14.2 |
| 14. | 32 | आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सराय काले खां | 13.5 |
| 15. | 46 | एसएसएन मार्ग (सीडीआर चौक से भाटी माइंस) | 10.5 |

अभियान के हिस्से के रूप में, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत और बोर्ड लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। अलग-अलग और चिह्नित बस लेन विशेष रूप से बसों और माल ढुलाई के लिए सुबह 08.00 बजे से रात 10.00 बजे तक आरक्षित रहेंगी और इस अवधि के दौरान किसी भी अन्य वाहन को उक्त बस लेन में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे की अवधि के दौरान, अन्य वाहनों को बस लेन में चलने की अनुमति दी जा सकती है। अन्य लेन पर चलते पाए गए वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना, एक अवधि के लिए कारावास जो छह महीने तक हो सकता है।

हल्के मोटर वाहनों जैसे कार और स्कूटर आदि के चिह्नित बस लेन में खड़े या अनअटेंडेड पाए जाने या वाहन मालिक अथवा चालक द्वारा अपने वाहन को चिह्नित बस लेन से हटाने से इनकार करने की स्थिति में, जुर्माना लगाया जाएगा व आवश्यक क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।

परिवहन विभाग बस लेन में यातायात अनुशासन लागू करने के लिए दो पालियों में दो प्रवर्तन दल तैनात करेगा। प्रत्येक प्रवर्तन दल उन्हें आवंटित रास्ते को कवर करेगा। इसके अलावा, बस लेन में खड़े या बाधित पाए जाने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए टीमों के साथ क्रेन भी तैनात की जाएगी। बस लेन में खड़े पाए गए वाहन या बस लेन के बाहर चलते पाए जाने वाले भारी और माल वाहनों की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी भी की जाएगी जिससे इन्हे उल्लंघन के सबूत के रूप में संरक्षित किया जा सके। परिवहन विभाग ने अपने सार्वजनिक फ्लीट ऑपरेटरों डीटीसी और डिम्ट्स को अपने ड्राइवरों को पेनल्टी से बचने के लिए निर्धारित बस लेन में अपनी बसों को चलाने के बारे में जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

दिल्ली में सार्वजानिक परिवहन को सुरक्षित, सुलभ और स्मार्ट बनाने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों को लागू किया है जैसे सीसीटीवी, पैनिक बटन और बस मार्शल की उपस्थिति, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, लाइव ट्रैकिंग और ई-टिकटिंग सुविधा आदि । बेहतर सार्वजानिक परिवहन और सेवा के लिए 2021 की शुरुआत से परिवहन विभाग लगातार विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है।

दिल्ली सरकार ने विभिन्न सड़क सुरक्षा पहलों के कार्यान्वयन के लिए सेवलाइफ फाउंडेशन (एसएलएफ), बीआईजीआरएस (द ब्लूमबर्ग इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल रोड सेफ्टी) जैसे सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परिवहन विभाग के साथ एसएलएफ हर साल डीटीसी और संबद्ध बस सेवाओं से जुड़े 500 ड्राइवरों के लिए अग्रिम ड्राइविंग और दुर्घटना रोकथाम प्रशिक्षण (एडीएपीटी) लागू कर रहा है। ADAPT प्रोग्राम ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने में मदद करता है। स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह कार्यक्रम उच्च जोखिम वाले वाणिज्यिक ड्राइवरों को खतरनाक स्थितियों का अनुमान लगाने, सड़क की स्थिति का विश्लेषण करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके व्यवहार को तदनुसार समायोजित करने में सहायता करता है।

डब्ल्यूपीसी संख्या 13029/85 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी बसें, भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और चार पहिया हल्के मालवाहक वाहन निर्धारित लेन मे ही चलें । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी बस और उपरोक्त माल वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192ए के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली की सड़कों पर नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुलभ और स्मार्ट परिवहन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, हमने अपनी बसों में सीसीटीवी कैमरा, एकीकृत कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर के साथ इसका दोतरफा कनेक्शन, लाइव ट्रैकिंग, बस मार्शलों की उपस्थिति , पैनिक बटन आदि की वयवस्था की है। बसों को समर्पित लेन प्रदान करके और सुरक्षा उपायों को लागू करके, हम दिल्ली की सड़कों को अपने नागरिकों, मोटर चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। । इससे सड़क पर जाम की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी।”